महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – पैसठवां संस्करण (माह मई, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान – गांवो को संकमण से बचाएं
3. आजीविका मिशन समूह के सहयोग से आटा चक्की बनी ''गीता दीदी'' की मददगार
4. आपदा प्रबंधन – सुनामी
5. राष्ट्रीय आपदा में जागरूकता अभियान
6. जल शक्ति अभियान
7. ''कोरोना'' पर एक रचना
8. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से पुनः जीवित हुए आजीविका के साधन
9. ''नक्षत्र वाटिका'' एक नवाचार

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का पैसठवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का पांचवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से यह कहकर समय रहते लोगों को आगाह किया कि कोरोना संक्रमण को गांवो तक पहुंचने से रोकना होगा। जिसे **''माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान – गांवो को संक्रमण से बचाएं''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''आजीविका मिशन समूह के सहयोग से आटा चक्की बनी 'गीता दीदी' की मददगार''**, **''आपदा प्रबंधन – सुनामी''**, **''राष्ट्रीय आपदा में जागरूकता अभियान''**, **''जल शक्ति अभियान''**, **''कोरोना पर एक रचना''**, **''मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से पुनः जीवित हुए आजीविका के साधन''** एवं **''नक्षत्र वाटिका एक नवाचार''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान – गांवो को संक्रमण से बचाएं

24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर समय रहते लोगो को आगाह किया कि कोरोना संक्रमण को गांवो तक पहुंचने से रोकना होगा। देश के सामने मौजूदा चुनौती पिछले वर्ष से बडी है। कोरोना महामारी को गांवो मे पहुंचने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करें। इस मौके पर उन्होनें कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में पंचायतों के योगदान को भी सराहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ***"मुझे विश्वास है कि भारत का गांव और वहां का नेतृत्व कोरोना वायसर के खिलाफ लडाई में सबसे पहले जीतकर सामने आने वालों में होगा।"*** उन्होने कहा कि पिछले साल महामारी की लहर से ग्रामीण क्षेत्र अछूते रहे थे। इस बार ज्यादा अनुभव और समझ के साथ गांवो का नेतृत्व फिर इस सफलता को दोहरा सकता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव में हर व्यक्ति का टीकाकरण हो और सभी जरूरी सावधानियां बरती

जाए। उन्होने कहा कि इस समय पंचायतो का मंत्र होना चाहिए ***''दवाई भी और कडाई भी।''*** उन्होनें कहा कि इस तथ्य से हर किसी को परिचित होना चाहिए कि गांवो के समीप कस्वों और छोटे शहरों मे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्थिती में नही है और बडे शहरों के अस्पताल पहले से ही गहन दबाव में है। उचित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों मे कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों का पालन कराने वाले सक्रिय हो। संक्रमण न फैले इसकी चिंता गांव वालो को खुद भी करनी होगी। कई गांवो ने इस मामले मे अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। पंचायतो को अपने स्तर से कोरोना टीकाकरण के अभियान मे गहन जागरूकता फैलानी होगी। जिससे कोई कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रह सके। इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों को आगे आना चाहिए, यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टीके को लेकर अभी भी कहीं कहीं हिचक दिख रही है। इस हिचक को तोडनें के लिए हर संभव कोशिश न केवल होनी चाहिए, बल्कि होते हुए दिखनी भी चाहिए।

पंचायतों की अहमियत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने पंचायतों के लिए 2.25 लाख करोड रूपये की राशि आवंटित की है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं और उन्हें फाइबर नेट से जोडा जा रहा है। केंन्द्र सरकार की सभी नीतियों के केन्द्र मे गांवो को रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव सक्षम ओर आत्मनिर्भर बनें।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन समूह के सहयोग से आटा चक्की बनी ''गीता दीदी'' की मददगार

आजीविका मिशन जिला बैतूल

प्रदेश में आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के समूहों के सशक्तीकरण के सराहनीय प्रयास किये जा रहे है। यह सफलता की कहानी जिला बैतूल के खापाखतेड़ा ग्राम की श्रीमती गीता दीदी द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यो पर आधारित है। श्रीमती गीता अपनी सफलता का श्रेय श्री एम. एल. त्यागी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल, श्री सतीश पवार, जिला परियोजना अधिकारी, श्री घनश्याम यादव, जिला परियोजना दल, आजीविका मिशन, बैतूल एवं आमला विकासखण्ड आजीविका मिशन प्रबंधक श्री वीकेश देशमुख को देती हैं जिनके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं प्रयासों से उनके गॉव के समूह की नहीं वरन् पूरे जिले के समूहों को सम्हाने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

ग्राम खापाखतेड़ा की गीता दीदी

आईये अब हम जानते हैं ग्राम खापाखतेड़ा और श्रीमती गीता दीदी के बारे में। प्रदेश के बैतूल जिले की जनपद पंचायत आमला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम है खापाखतेड़ा। इस गॉव की आबादी लगभग 2000 है और तकरीबन 300 परिवार निवास करते हैं।

गीता, ग्राम खापाखतेड़ा, जनपद पंचायत आमला, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश की निवासी हैं। गीता ने कला स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनका विवाह श्री विजय देशमुख के साथ हुआ। गीता के ससुराल में आय का प्रमुख स्त्रोत खेती–किसानी था। खेती–बाड़ी से जो उपज होती उससे बचत कम ही हो पाती। गीता पढ़ी–लिखी महिला थी उसके मन में ये बात आती रहती कि ऐसा क्या किया जावे कि उसके परिवार की कमाई के जरिये बढ़ाये जा सकें।

आजीविका मिशन भवानी समूह से जुड़ाव

गीता का संपर्क अपने ग्राम खापाखतेड़ा की कुछ महिलाओं से हुआ। इन्हीं महिलाओं से समूह और आजीविका मिशन के बारे में जानकारी मिली। वर्ष 2017 में गीता, आजीविका मिशन के अन्तर्गत बने, भवानी आजीविका स्व सहायता समूह में शामिल हो गई। समूह के माध्यम से गीता ने बहुत अच्छे कार्य किये। वह ई–शक्ति सी.आर.पी. की भूमिका भी निभा रहीं हैं।

चक्की के लिए समूह से ऋण मिला

समूह से जुडकर गीता ने दो बार में आजीविका मिशन भवानी समूह से ऋण के रूप में 65 हजार रूपये प्राप्त किये। जिससे गीता ने आटा चक्की लगावा ली। आटा चक्की का व्यवसाय में सफलता मिलने लगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिला ऋण

गीता अब पिसाई से जुड़ी व्यवसायिक बातें जानने और इन कार्यो को समझने लगी थी। गीता को

लगने लगा था कि, इस काम को और बढ़ाना चाहिए ताकि ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। गॉव में आटा के साथ–साथ धान कुटाई और मसालों की पिसाई करने की मांग थी। बस गीता को यह बात सूझ गई कि धान कुटाई और मसाला चक्की लगाई जाये।

इसके बाद गीता ने अपने पति से चर्चा करने के बाद मिशन के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक लाख रूपये के ऋण का आवेदन किया। गीता का ऋण आवदेन स्वीकृत हो गया एवं भारतीय स्टेट बैंक, एडीबी विकासखंड आमला जिला बैतूल के द्वारा गीता को एक लाख रूपये प्रदाय किये गये। इस राशि से गीता ने धान कुटाई की मशीन एवं मसाला चक्की भी खरीद ली। अब धान कुटाई और मसाला चक्की से गीता को 10 से 12 हजार रूपये की मासिक आमदनी प्राप्त होने लगी।

कोविड़–19 संक्रमणकाल

क्या शहर और क्या गॉव, इस समय कोविड–19 संक्रमण का प्रकोप सभी जगह फैला हुआ है। ऐसे भययुक्त माहौल में छोटी सी भी कोशिश बड़ी मायने रखती है। ऐसा ही प्रयास किया श्रीमती गीता देशमुख ने। अप्रैल 2021 से पूरे प्रदेश में कोविड–19 महामारी के फेस–2 के कारण बैतूल जिले में भी संक्रमण का अत्यधिक प्रसार होने लगा। जिसके कारण शासन द्वारा जनता कर्फ्यू लगा दिया गया जिससे गीता को भी अपनी आटा चक्की मशीन को रोकना पड़ा।

चक्की पुनः चालू करना

गांव में बहुत से लोगों को भोजन के लिए गेंहू के आटा की जरूरत पड़ रही थी। गांव के लोगों के पास गेंहू तो था किन्तु कोई आटा चक्की बंद थी। गीता ने देखा कि ग्रामवासी अपना गेहूं पिसवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। गीता सोच रही थी कि क्यों न मैं अपनी आटा चक्की फिर से शुरू कर दूँ। उसके मन में कोरोना संक्रमण फैलने का भी डर सता रहा था। क्यों कि गेंहू पिसवाने के लिए गांव के लोगों का आना–जाना उसकी आटा चक्की में बढ़ जाता और इससे कोरोना संक्रमण फैलने का जोखिम था।

इस संबंध में गीता ने अपने पति श्री विजय देशमुख से विचार किया। इस संबंध में गीता ने अपने समूह की दीदियों से बात की। गांव के लोगों की की परेशानियों को देखते हुए अपनी आटा चक्की पुनः शुरू कर दी। आटा चक्की में गेहूं पिसाई कर ग्रामवासियों को आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे गीता के परिवार को भी आमदनी हो रही है। हॉ गीता अपनी आटा चक्की में कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी नियमों का पालन स्वयं भी करती हैं और वहां आने वाले सभी ग्रामवासियों से भी करवाती हैं।

अपनी आटा चक्की में गीता कोविड़–19 संक्रमण के बचाव के पूरे उपाय करती हैं। सेनीटाईजर से आटा चक्की में आने वाले लोगों के हाथ को सबसे पहले ही सेनीटाईश करवा दिया जाता है। गेहूं एवं मिर्च, हल्दी, मसालों के थैलों को आटा चक्की में

व्यवस्थित तरीके से रखवाया जाता है। गीता और उनके पति दोनों ही आटा चक्की में पिसाई का काम करते हैं। वे भी अपने हाथों को बार–बार सेनीटाईज करते रहते हैं। आटा चक्की में लोगों को पर्याप्त दूरी पर खड़ा करते हैं। पिसाई काम हो जाने के बाद आटा व मसालों के थैलों को फिर से क्रमशः दूसरी तरफ रख दिया जाता है। गॉव के लोग अपने थैलों को वापिस ले कर चले जाते हैं।

गरीबजनों को बाजिब दामों पर आटा उपलब्ध कराना

गीता अपने घर की गेहूं की उपज में से कुछ मात्रा छान–बीन कर अलग रख लेतीं हैं। खापाखतेड़ा ग्राम में रहने वाले श्रमिक और गरीबजनों को जब भी आटा की जरूरत होती है तब ही गीता इस गेहूं को पीस कर गरीबजनों को बाजिब दामों पर मुहैया करा देती हैं। इससे गॉव के श्रमिकों और गरीबजनों को जरूरत पड़ने पर गेंहू का आटा मिल जाता है।

कोविड़–19 संक्रमण से बचने के उपाय

गीता ने अपने समूह के साथ मिल कर ग्राम के अन्य स्व सहायता समूहों की महिलाओं एवं ग्रामवासियों को कोविड–19 संक्रमण के प्रति जागरूक करने के प्रयास प्रारंभ कर दिये। वह लोगों की समझाती कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो मास्क लगाओ, हाथ बार–बार धोवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने–अपने घरों में ही रहें।

गीता बहुत खुश है और बताती है कि अगर आजीविका मिशन जैसी योजना गांव में नहीं आती, तो मैं अपने परिवार का विकास कभी भी नहीं कर सकती थी। इसके लिए गीता आजीविका मिशन को बार–बार धन्यवाद देती है।

कहानी से मिली सीख

- मुसीबत के दौर में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिये।
- आजीविका मिशन द्वारा गीता को विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई।
- बैंक द्वारा मशीनों के लिए ऋण के रूप में राशि मुहैया कराई गई।
- गीता ने अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए सूझ–बूझ आटा चक्की के साथ ही साथ मसाला चक्की व घान कुटाई की मशीन लगाया।
- कोविड–19 संक्रमण काल में आटा पीसने की चक्की पुनः प्रारंभ की जिससे गॉव के लोगों को गेंहू पिसवाने की सुविधा मिल पाई।
- जरूरत मंदों को बाजिब दामों पर गेंहू का आटा उपलब्ध कराया जाता है।

गीता कोविड़–संक्रमण के बचाव के सभी उपाय गीता स्वयं भी करती है और गॉव के लोगों को समूह संगठन के माध्यम से इस संक्रमण के उपायों से वाकिफ भी कराती हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

आपदा के प्रकार – सुनामी

सुनामी क्या है?

सुनामी एक जापानी शब्द है जिसमें TSU का अर्थ बंदरगाह और Nami का अर्थ लहर है, अतः इसका सामान्य अर्थ बंदरगाह लहर है। सुनामी बेहद लंबी तरंगदैर्ध्य एवं आवर्तकाल वाली दीर्घ लहरों की एक श्रृंखला है,जो प्रायः तट के पास या समुद्र में किसी गतिविधि या किसी अन्त सागरीय विक्षोभ से उत्पन्न होती है।

सुनामी कैसे उत्पन्न होती है?

सुनामी सागरीय अधस्तल के स्तर में बड़े आवेगपूर्ण विस्थापन द्वारा उत्पन्न होती है। भूकंप, सागरीय अधस्तल के ऊर्ध्वाधर संचलन से सुनामी उत्पन्न करते है। सुनामी, भूस्खलन के मलबे के जल में गिरने या जल की सतह के नीचे भूस्खलन होने, ज्वालामुखीय गतिविधि तथा उल्कापिंड के टकराने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। गंगा एवं सिंधु नदियॉ द्वारा विशाल तलछट निक्षेप के कारण बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में भूस्खलन से सुनामियों के उत्पन्न होने की सम्भावना बन सकती है।

भारत में सुनामी का जोखिम

अतीत में, हिंद महासागर एवं भूमध्य सागर में कुछ विनाशकारी सुनामियॉ उत्पन्न हो चुकी है। हिंद महासागर की सर्वाधिक प्रमुख सुनामी अगस्त 1883 में काकाटोआ द्वीप के ज्वालामुखी के उग्र विस्फोट से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी लहरें कभी–कभी ही उत्पन्न होती है, फिर भी पिछले 300 वर्षो में इस क्षेत्र में 13 सुनामियॉ दर्ज हैं। इनमें से 3 अंडमान–निकोबार क्षेत्र में घटित हुई है। 26 दिसम्बर 2004 को हिंद महासागर में उठने वाली सुनामी भारत में तबाही मचाने वाली सबसे विनाशकारी सुनामियों में से एक थी।

भारत में सुनामी का वितरण प्रतिरुप

भारत के पूर्व एवं पश्चिम दोनों तटरेखाएं सुनामी लहरों के प्रति सुभेद्य हैं। भारत की तटरेखा के लगभग 2200 किलोमीटर से अधिक भाग में घनी आबादी है। भारतीय तटीय क्षेत्रों के सुनामी द्वारा प्रभावित होने के लिए 6.5 से अधिक परिमाण के सुनामीकारक भूकंप का होना आवश्यक है। तटीय क्षेत्रों में वास्तविक सुनामी का खतरा उसकी बैथीमीट्री अर्थात् तट के निकट जल की गहराई एवं तटीय स्थलाकृति पर निर्भर करता है।

भारत में सुनामियों का इतिहास

तिथि	अवस्थिति व कारण	प्रभाव
1524	दालोल के निकट, महाराष्ट्र	पर्याप्त आंकडे उपलब्ध नहीं
02 अप्रैल 1762	अराकल तट म्यांमार	पर्याप्त आंकडे उपलब्ध नहीं
16 जून 1819	कच्छ कारण गुजरात	पर्याप्त आंकडे उपलब्ध नहीं
31 अक्टूबर 1847	ग्रेट निकोबार द्वीप	पर्याप्त आंकडे उपलब्ध नहीं

31 दिसंबर 1881	कार निकोबार द्वीप पर रिक्टर पैमाने पर 7.9 की तीव्रता का भूकंप	भारत का सम्पूर्ण पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहः चेन्नई में 1 मीटर की उचाई वाली सुनामी लहरें दर्ज की गयी थी।
26 अगस्त 1883	इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का विस्फोट	भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ चेन्नई में 2 मीटर की उॅचाई वाली सुनामी लहरें दर्ज की गयी थी।
26 जून 1941	अंडमान द्वीप समूह पर रिक्टर पैमाने पर 8.1 की तीव्रता का भूंकप	भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ था किन्तु सुनामी लहरों की उॅचाई के आंकडें उपलब्ध नहीं है।
27 नवंबर 1945	कराची से दक्षिण में लगभग 100 कि मी की दूरी पर रिक्टर पैमाने पर 8.5 की तीव्रता का भूकंप	भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग से लेकर कारवार (कर्नाटक) तक प्रभावित हुआ था कांडला में 12 मीटर उॅची सुनामी आयी थी।
26 दिसम्बर 2004	बंदा आचेह, इंडोनेशिया : तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारतः श्रीलंका, थाईलैंड मलेशिया, केन्या, तंजानिया	भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ। लगभग 10 मीटर उॅची सुनामी लहरों से 10,000 से अधिक लोगो की मृत्यु हो गयी थी।

सुनामी आपदा के परिणाम

सुनामी के प्रभाव, विनाश एवं क्षति, मौतो, बीमारियों, चोटों, करोडों डॉलर की वित्तीय हानि से लेकर क्षेत्र के निवासियों के लिए दीर्घावधि तक चलने वाली मनौवैज्ञानिक समस्याएं तक हो सकते है। सुनामी के प्रभाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते है–

- सुनामी उत्पन्न करने वाली भूकंपीय घटना के अभिलक्षणों पर
- उत्पत्ति बिंदु से दूरी व सुनामी के आकार परिणाम पर तथा
- बैथीमीट्री विन्यास महासागरों में जल की गहराई पर।

भारतीय तट पर दिसम्बर 2004 में हिंद महासागर में आयी सुनामी ने इस बात को रेखांकित किया कि सर्वाधिक क्षति तट के निकटवर्ती निचले क्षेत्रों में हुई एवं अधिक मौते घनी आबादी वाले क्षेत्रों में देखी गई

मैग्रोव, जंगल, रेत के टिब्बों एवं तटीय चट्टानों ने सुनामी के प्रभाव को कम करने में उत्कृष्ट प्राकृतिक अवरोधों का कार्य किया तथा उन क्षेत्रों में भारी क्षति हुई जहां रेत के टिब्बों का अत्यधिक खनन किया जा चुका है।

सुनामी पूर्वानुमेयता

चूंकि वैज्ञानिक भूकंप का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकते है, इसलिए वे सुनामी के उत्पन्न होने की भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते है। सुनामी चेतावनी के दो भिन्न प्रकार है–

1. अंतराष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणालिया तथा
2. क्षेत्रीय चेतावनी प्रणालिया

भारत में सुनामी चेतावनी केंन्द्र भारत के साथ साथ हिंद महासागरीय राष्ट्रों को सुनामी संबंधित परामर्श देने के लिए सभी आवश्यक अवसंरचानाओं तथा क्षमताओं से लैस है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद में अवस्थित है तथा इसका संचालन भी करता है। सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के तीन स्टेशनों पोर्टब्लेयर, मिनिकॉय व शिलांग के रियल–टाइम सतत् भूंकपीय तरंग डेटा को भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा वैश्विक समुदाय के साथ साझा भी किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के अंतर्सरकार समुद्र – विज्ञान आयोग द्वारा संपूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाताओं में से एक के रुप में निर्दिष्ट किया गया है। यह भारतीय तटीय क्षेत्रों/ द्वीपों को समग्र रुप से सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त हिंद महासागर के किनारे स्थित सभी देशों 24 देशों को सुनामी चेतानियॉ तथा संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा है।

यह केंद्र हिंद महासागर के साथ–साथ विश्व भर के महासागरों में आये सुनामी कारक भूकंपों का उनके घटित होने के 10 मिनट के भीतर पता लगाने में सक्षम है तथा ईमेल, फैक्स, वैश्विक दूरसंचार प्रणाली व

वेबसाइट के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों के लिए 20 मिनट के भीतर सलाहकारी सूचना का प्रसार कर सकता है।

हिन्द व प्रशांत महासागरों के आस–पास के भूकंपीय स्टेशनों, समुद्र स्तर निगरानी केंद्रों तथा सुनामी उत्प्लवों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षण नेटवर्क सम्मिलित है। इसके द्वारा लगभग 400 सीस्मोमीटर्स से रियलटाइम ऑकड़े प्राप्त किये जाते है और उनकी ऑटोमेटेड प्रासेसिंग के द्वारा पृथ्वी पर कहीं भी आए 4.0 व उससे अधिक परिमाण वाले भूकंप का पता लगाया जाता है। जैसे ही भूकंप का पता चलता है, चेतावनी केंद्र भूकंपीय आंकडों के आधार पर भूकंप की अवस्थिति, उसके परिमाण, उसके उद्धम की गहराई तथा घटना के अन्य लक्षणों का वर्णन करने वाला प्रथम बुलेटिन प्रसारित करता है। प्रथम बुलेटिन जारी करने के पश्चात्, भूकंपीय आंकडों का और अधिक विश्लेषण किया जाता है ताकि भूकंप के मापदंडों (परिमाण, गहराई तथा अवस्थिति) की परिशुद्वता में सुधार किया जा सके। यथासंभव कम समय में विशाल भूकंपों की पहचान करने तथा उनके लक्षणों को निर्धारित करने के लिए भूकंपीय आकंडों की प्रोसेसिंग को इष्टतम बनाया जाता है।

सुनामियों के प्रबंधन पर दिशा निर्देश

सुनामी जोखिम आकलन और सुभेद्यता विश्लेषण तटीय भूमि उपयोग मानचित्रों एवं तटीय बैथीमीट्री के आधार पर सुनामी संकटों की सुभेद्यता के आकलन तथा जोखिम मानचित्रण की अनुशंसा करता है। इसने सुनामी तरंगों के आगमन तथा उपर उठने वाली लहरों की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित करने का सुझाव भी दिया है। भारतीय नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक के अधीन कार्य करता है। यह जलप्लावन मानचित्रों को चित्रित करने के लिए अधिकृत एजेंसियों को नियमित रुप से बैथीमीट्री सूचनाएं प्रदान करता है।

सुनामी संबंधी तैयारी आई एम डी द्वारा 17 स्टेशनों वाले रियल टाइम सीस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना किये जाने की परिकल्पना की गयी। खुले महासागर में सुनामी तरंगों के प्रसार का पता लगाने के लिए बॉटम प्रेशर रिकाड्र्स का उपयोग किया जाता है। एक प्रमुख चिंता का विषय यह है कि समुद्र में बिना निगरानी वाले महासागरीय प्रेक्षण प्लेटफार्मो को भारी क्षति पहुॅच रही है। राष्ट्रीय महासागर प्रौधोगिकी संस्थान सतही उत्प्लवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय डेटा उत्प्लव कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। सुनामी बुलेटिन तथा चेतावनी प्रणालियां, तैयारी का एक महत्वपूर्ण भाग है। बचाव मार्गो की सूचना के लिए तटीय क्षेत्रों में सुनामी बचाव मार्ग की दिशा के साइनबोर्ड लगाए जाने चाहिए। दृश्य एवं रेडियो मीडिया भी सचेत करने तथा चेतावनी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है साथ ही साथ जन जागरुकता अभियान भी प्रायः अधिक आयोजित किये जाने चाहिए।

संरचनात्मक शमन उपाय विभिन्न अनुशंसित संरचनात्मक उपाय निम्नलिखित हैः

- चक्रवात आश्रय–स्थलों जलमग्र रेत के अवरोधों/तटबंधों, समुद्री खरपतवारों वाले रेत के टीलों का निर्माण तथा तटरेखा पर मैग्रोव व तटीय वनों का रोपण।

- संकट के समय आवश्यक प्रशिक्षण एवं आपातकालीन संचार सुविधा प्रदान रकने के लिए तट रेखाओं के किनारे स्थानीय सूचना केद्रों (ग्रामीण/शहरी) के एक नेटवर्क का विकास (उदाहरण के लिए पांडिचेरी में एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा विकसित केन्द्र।
- विशेषज्ञों के परामर्श के साथ स्थान विशिष्ट समुद्री दीवारों तथा प्रवाल भित्तियों का निर्माण।
- सुनामी की तीव्रता को कम करने हेतु तट पर तरंगराधों का विकास।
- ''बायो–शील्ड यानी जैव कवच का विकास यह तटरेखा के साथ–साथ भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है। इसे तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन सुरक्षित क्षेत्र के रुप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें सघन वृक्षारोपण किया गया हो और उसमें सार्वजनिक जागरुकता, जानकारी के प्रसार व प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थान भी हो।
- सुनामी आश्रय–स्थलों की पहचान करने के साथ–साथ सुभेद्य संरचनाओं की पहचान करना तथा सुनामी/चक्रवात प्रतिरोध के लिए ऐसे सभी भवनों की उपयुक्त रेट्रोफिटिंग करना।

तकनीकी–कानूनी व्यवस्था का विनियमन और प्रवर्तन इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते है –

- तटीय क्षेत्र विनियमों का कठोर कार्यान्वयन (औसत समुद्र तल से 10 मीटर से कम उंचाई वाले क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर)
- सुनामी–सुरक्षित जोनों के वर्गीकरण, नियोजन, डिजाइन तथा निर्माण कार्य–प्रणालियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आदर्श तकनीकी कानूनी फ्रेमवर्क को अपनाना।

आपातकालीन सुनामी अनुकियाः चूंकि किसी भी आपदा में समुदाय प्रथम अनुक्रियाकर्ता होता है, इसलिए विभिन्न माध्यमों द्वारा पूरे तटीय क्षेत्र में जन जागरुकता अभियान की एक श्रृंखला आरंभ की जा सकती है। SHGs, NGOs व CBOs को खोज बचाव अभियानों में सम्मिलित किया जा सकता है। जलमग्र क्षेत्रों, वृक्षों पर व विभिन्न ध्वस्त संरचानाओं में फंसे हुए लोगों की खोज तथा बचाव के लिए सुनामी के तुरंत पश्चात् वायु से फुलायी जा सकने वाली मोटरचालित नौकाओं, हेलीकॉप्टरों तथा खाज व बचाव उपकरणों की आवश्यकता होती है। भारतीय नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के दौरान, सात सर्वेक्षण जहाजों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के साथ–साथ संचार के समुद्री मार्गो को खोलने के लिए भी तैनात किया गया था। उन्हें इस क्षेत्र में तत्काल पुनः मानचित्रण करने तथा नवीनतम बैथीमीट्री जानकारी प्राप्त करने के कार्य पर लगाया गया था।

प्रबंधन योजनाओं का कार्यानवयन सुनिश्चित करना–

- सुनामी तथा चक्रवात की आपदाओं का सामना करने हेतु स्थानीय लोगों तथा प्रशासन में आवश्यक अत्याधुनिक स्तर की प्रभावी क्षमताओं का विकास करना।

- फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते तथा सुनामी पश्चात् प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में मछुआरों, तट–रक्षकों, मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों, बंदरगाह प्राधिकारियों तथा जिले के स्थानीय अधिकारियों आदि के बीच जागरुकता उत्पन्न करना तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रभावकारिता के परीक्षण हेतु नियमित अभ्यास किए जाने चाहिए।

वर्तमान चुनौतियां

भारत में सुनामी जोखिम प्रबंधन के संबंध में चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित है–

- बेहतर जोखिम मूल्याकंन के लिए पूर्व काल में हुई सुनामी घटनाओं की बेहतर समझ के लिए सरल रुप से उपलब्ध सुनामी दस्तावेजों तथा पुरा–सुनामी अध्ययनों की कमी।

- तटों के निकटवर्ती सागरीय क्षेत्रों की हाई–रेज़लूशन बैथीमीट्री तथा स्थलाकृति आंकडों का अभाव जलप्लावन मॉडलों के विकास को सीमित करता है।
- सुनामी जोखिमों तथा सुमेद्यता पर समुदाय में पर्याप्त जागरुकता।
- तटीय क्षेत्रों में आपदा संबंधी तैयारी, शमन एवं आपातकालीन अनुक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने में लोगों की भागीदारी की कमी।
- सुनामी जोखिम प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण की कमी।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

राष्ट्रीय आपदा में जागरूकता अभियान

राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में ग्राम काकरिया मीना बड़नगर किला खेड़ी पंचायत के ग्रामों में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम सचिव ग्राम रोजगार सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा टीम वर्क से घर–घर जाकर वैक्सिंग के महत्व को समझाया जा रहा है। एवं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग एवं सफाई पर ध्यान देने के लिए जोर दिया जा रहा है।

- सरकार द्वारा मुफ्त में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में ग्राम पंचायत कार्यालय में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। एवं अधिक से अधिक लोगों को समय पर टीके के दोनों डोज लग जाए ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही है।
- ग्राम काकरिया मीणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता मीणा एवं उर्मिला वर्मा एवं विश्राम सिंह द्वारा घर–घर जाकर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय हेतु समझाइश दी जा रही है एवं बेक्सीन के
- महत्व को बताया जा रहा है।
- इसी प्रकार ग्राम पंचायत बड़नगर में सचिव राजकुमार मीणा एवं उनकी टीम द्वारा कोरोना वायरस से बचने के उपाय हेतु वैक्सीनेशन के महत्व को बता कर ग्राम वासियों को टीकाकरण केंद्र में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एवं पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ग्राम पंचायत

में आइसोलेशन सेंटर बनाकर बाहर से आए हुए मजदूरों को पर्याप्त जांच कराकर कार्यालय ग्राम पंचायत केंद्र में ही कोरेंनटाइन की व्यवस्था की जा रही है।

- राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में सभी पंचायत के कर्मचारियों जिन्हें कोरोनायोद्धा के रूप में जाना जाता है, द्वारा टीम वर्क के रूप में सावधानी पूर्वक किया जाने वाला यह कार्य ग्राम पंचायत

बड़नगर एवं काकरिया मीणा की एक मिसाल है। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए ग्राम पंचायत में ही मनरेगा के काम देकर जल संरचना के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं। इन मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान उनके खाते में किया जाता है। इस प्रकार आपदा की घड़ी में ग्रामीण विकास द्वारा मिसाल पेश की गई जो कि एक सामाजिक पहल भी है और आदर्श भूमिका भी है।

प्रकाश कडवे,
संकाय सदस्य

जल शक्ति अभियान

''जहाँ भी गिरे और जब भी गिरे, बारिश का पानी इकट्ठा करे''

इस आह्वान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियानरूकैच द रेन की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता जल संसाधनों और जल सम्पर्कों पर निर्भर है और जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत का तेजी से विकास संभव नहीं है।

यह अभियान भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि हेतु प्रारम्भ किया गया है।कैच द रेन अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मानसून पूर्व एवं मानसून अवधि के दौरान चलाया जाएगा।

उद्देश्य –

- जनभागीदारी के माध्यम से बारिश के पानी का संचय करना।
- सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं (Rain water harvasting structures) का निर्माण करना।

मुख्य गतिविधियां –

- रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु गड्ढ़े बनाना, शासकीय भवनों एवं निजी भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोक पिट बनाने हेतु प्रेरित करना।
- वर्षा जल संचयन की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंको की सिल्ट को हटाना।
- पानी के उन चौनलों में से अवरोध हटाना जो जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं।
- जल को वापस लाने के लिए परम्परागत जल संचयन संरचनाओं जैसे छोटे कुएँ और गहरे बड़े कुओं की मरम्मत करना।

- अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार और सूचना, शिक्षा, संचार(प्म्ब्) गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना।

- मनरेगा योजना की राशि को मानसून पूर्व तक वर्षा जल संरक्षण कार्यों में प्राथमिकता से व्यय करना।

- मनरेगा योजना से नवीन जल संरचनाओं का निर्माण एवं पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार की कार्यवाही।उदाहरण के लिए खेत तालाब, सार्वजनिक तालाब,मुख्यमंत्री सरोवर, कपिलधारा कूप, चेकडेम, स्टॉप डेम,नदी पुनर्जीवन, मनरेगा वाटरशेड के कार्य आदि।

महत्व –

- कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल के सुनियोजित प्रबंधन से भूमिगत जल पर देश की निर्भरता कम होगी साथ ही साथ भूजल रिचार्ज से जल स्तर में वृद्धि भी होगी।

- जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने से युवावर्ग जल के महत्व को समझेंगे।

- जल संरक्षण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की ओर अग्रसर करेगी।

- शून्य अथवा केवल सीमित पानी को परिसर से बाहर निकालने कार्य मिट्टी की नमी और भूजल स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।

- शहरी क्षेत्रों में यह सड़कों पर होने वाले जल भराव जो कि सड़कों को क्षतिग्रस्त करता है, को कम करेगा तथा शहरी बाढ़ को रोकने में सहायक होगा।

- भूजल स्तर में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन में सुधार ,पेयजल संकट में कमी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर नियंत्रण जैसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

अतः हम सब वर्षा के जल को सहेजने हेतु एवं सामुदायिक स्तर पर अवश्य अपना योगदान दें क्योंकि जल है तो कल है।जल संरक्षण जरूरत भी है और हमारा कर्तव्य भी।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

''कोरोना'' पर एक रचना

प्रकृति की आपदा और कोरोना का कहर
हर अंधियारी रात के बाद आती ही है सहर
कालचक्र नियति प्रारब्ध का तय है हर प्रहर
मत घबराइये धैर्य रखिये आने को है सहर
निश्चित दूरी रखें घरों में रहें मस्त रहें हर प्रहर
देखते ही देखते कट जाएगी आपदा और आएगी सहर
सुख दुख लाभ हानि की धारा है जीवन की ये लहर
हिम्मत हौंसले उल्लास से जल्द ही आएगी सहर
सैनेटसईज रहें स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें कह रहा हर प्रहर
लॉकडाउन का स्व अनुशासन से करें पालन बस आने को है सहर
मनुज ने बड़ी बड़ी विपदाएं सहीं खत्म होगा कोरोना का भी कहर
धीरज संयम शांति विवेक रखें आने को है सहर
इस घड़ी परिवार को समझें करें रिश्तों की कदर
भाग रहा कोरोना का कहर आ रही है नई सहर
प्रकृति का है शाश्वत नियम हर दुख के पीछे सुख की लहर
धैर्य इच्छा शक्ति हिम्मत से टूट रहा कोरोना का कहर

प्रतीक सोनवलकर,
संयुक्त आयुक्त

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से पुनः जीवित हुए आजीविका के साधन

केस नंबर–1

जनपद पंचायत महिदपुर जिला उज्जैन के लाखन पँवार महिदपुर ब्लाक के ग्राम झुटावद का स्थाई निवासी है। कोविड–19 महामारी के पूर्व लाखन फल एवं सब्जी का व्यवसाय करता था जिससे उसकी व उसके परिवार की गुजर–बसर ठीक से हो जाया करती थी।

लेकिन कोविड–19 महामारी के दौरान सब्जी एवं फल के व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन में यातायात के अवरूद्ध हो जाने से फल एवं सब्जी का सुगम आयात नहीं होने के कारण व्यापार नहीं चल पाया कई बार जुगाड़ कर मंहगे भाव में सौदे की व्यवस्था की किन्तु बिक्री न होने भाव न मिलने से माल खराब हुआ तथा नुकसान उठाना पड़ा। जिससे पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। शासन द्वारा चलाई गई ऋण योजना से फिर से उसको अपनी आर्थिक स्थिति एवं आजीविका को सुदृढ करने का बडा अवसर प्राप्त हुआ।

अतः इस योजना से लाखन पँवार को 10,000/–रूपये मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा झुटावद तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त हुआ। जिससे लाखन पँवार की आजीविका पुनः पटरी पर आने लगी है।

लॉकडाउन के दौरान लाखन को सब्जी एवं फल व्यवसाय से 100 से 150 रूपये बचत होती थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना का लाभ प्राप्त कर वर्तमान में लाखन पँवार की आय में 300 से 350 रूपये प्रतिदिन वृद्धि हुई है। लाखन की आजीविका का जो साधन गतवर्ष लॉकडाउन की वजह से खत्म हो चुका था वह पुनः मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना से जीवित हो सका तथा उसके परिवार में आजीविका में वृद्धि होने से खुशहाली आई है।

केस नंबर–2

इसी प्रकार महिदपुर ब्लाक के ही जितेन्द्र वर्मा ग्राम पंचायत बैजनाथ के स्थाई निवासी है तथा कोविड–19 संक्रमण के पूर्व में जितेन्द्र वर्मा हेयर सैलून का व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे थे, कोविड–19 महामारी के दौरान संक्रमण फैलने के डर से कई लोगों ने दाढ़ी कंटिंग बनवाना ही बंद कर दिया था तथा हेयर सैलून का व्यवसाय बंद हो गया था, तथा शासन द्वारा भी लॉकडाउन में कोविड–19 महामारी को देखते हुए हेयर सैलुन प्रतिबंधित किया गया था। दुकान लॉकडाउन के दौरान बंद हो जाने के कारण पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। व्यवसाय नहीं चल पाने से गाँव एवं पडोसी गाँव में मजदूरी हेतु जाना पडता था उसी मजदूरी से परिवार का भरण पोशण किया जाता था। शासन द्वारा चलाई गई पथ विक्रेता ऋण योजना से फिर से जितेन्द्र को अपनी आर्थिक स्थिति एवं आजीविका को सुदृढ करने का बडा अवसर प्राप्त हुआ। जितेन्द्र ने योजना से राशि रू. 10000/– रूपये मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा महिदपुर द्वारा बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त हुआ। जिससे जितेन्द्र वर्मा की आजीविका पुनः सुचारू रूप से चलने लगी है।

लॉकडाउन से पूर्व जितेन्द्र वर्मा को हेयर सैलून व्यवसाय से लगभग 200 से 250 रूपये की बचत होती थी, किन्तु लॉकडाउन में व्यववयाय पूर्ण रूप से बंद था। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना का लाभ प्राप्त कर वर्तमान में जितेन्द्र वर्मा की आय 300 से 400 रूपये प्रतिदिन बड़ी है। साथ ही जितेन्द्र के परिवार में पहले की तरह खुशहाली आई है।

इस तरह शासन की योजना से लाखन पंवार व जितेन्द्र वर्मा के आजीविका के साधन पुनः जीवित हो गये तथा इनके परिवार के भरण पोषण बच्चों की शिक्षा–दीक्षा हेतु इनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक सुदृढ़ हो गई है।

संजय कुमार पाटिल
संकाय सदस्य

''नक्षत्र वाटिका'' एक नवाचार

पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर आसमान पर स्थिर पिंडों को नक्षत्र और स्थिति बदलने वाले पिंडों को गृह कहते है इन सभी आकाशीय पिंड 27 नक्षत्र 12 राशिया और 9 ग्रह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं क्योंकि मनुष्य का जन्म इनमें से ही किसी एक नक्षत्र में होता है अतः इन नक्षत्रों का मनुष्य के स्वास्थ पर अनुकूल प्रभाव डालने हेतु नक्षत्रों को पर्यावरणीय आधार पर धरातल पर उतारना जिससे मनुष्य निरोग्य बना रहे प्राचीन ग्रंथो/पुरानों में भी नक्षत्र, राशि एवं ग्रहों की स्थिति के आधार पर धरती में किसी स्थान को 27 भागों में बाटने का उल्लेख वर्तमान में नक्षत्र वाटिका के रूप में मिलता है।

नक्षत्र वाटिका प्रोजेक्ट की कुल लागत 5.30 लाख रू. रही जिसे मुख्य रूप से 14 वे वित्त योजना अंतर्गत 3.15 लाख रू एवं मनरेगा अंतर्गत 1.54 लाख रू मजदुरी एवं 0.61 लाख रू सामग्री में खर्च किये गए । नक्षत्र वाटिका में 3 सहकेन्द्रीय वृत्त बनाये गये है जिसमें एक निश्चित दिशा, कोण एवं दुरी में 48 पौधों को लगाया गया है सबसे बाहरी वृत्त में 27 नक्षत्रों के 27 पौधे एवं केन्द्र में सूर्य का पौधा लगाया गया है । तीनों सहकेन्द्रीय व्रतों पर परिक्रमा पथ बनाया गया है जिसमें 3 अलग–अलग प्रकार की एक्वाप्रेशर टाइल्स का प्रयोग करके इसे और भी प्रभावशील बनाया गया है। लोगों को विभिन्न वृक्षों की जानकारी एवं एक्वाप्रेशर टाइल्स के लाभ की जानकारी के लिए सुचना पटल स्थापित किया गया है। पौधों के सिंचाई हेतु ड्रिप ईरीगेसन एवं पानी की टंकी की स्थापना की गयी है।

नक्षत्र वाटिका प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनमें प्रमुख रूप से नक्षत्र वाटिका में विभिन्न नक्षत्रों एवं राशि के स्वामी वृक्ष (48 विभिन्न प्रकार के वृक्ष) एवं विभिन्न प्रकार की

एक्वाप्रेशर टाइल्स की उपलब्धता न होने से जिसे अन्य जिलों से लाकर लगाया गया ।

नक्षत्र वाटिका निर्माण पश्चात प्रतिदिन ग्रामवासियों द्वारा एक्यूप्रेसर पथ एवं स्वस्थ वातावरण से स्वास्थ्य लाभ एवं लोगों को मंदिर में पूजा अर्चना एवं विभिन्न प्रकार की नक्षत्र/राशि एवं गृह के पौधों से धार्मिक क्रियाकलाप का लाभ एवं दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों के बारे में जानकारी मिल रही है नक्षत्र वाटिका से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं ग्राम में जैव विविधता बढ़ी है नक्षत्र वाटिका आस–पास के लोगों के लिए एक दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हुआ है।

नक्षत्र वाटिका प्रोजेक्ट ग्राम छापरी रजला जनपद पंचायत रामा जिला झाबुआ की शुरूआत कलेक्टर महोदय एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महोदय के मार्गदर्शन में हुई । प्रोजेक्ट हेतु स्थल चुनाव से लेकर कार्य पूर्ण कराने में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत रामा ने मुख्य भूमिका निभाई ।

नक्षत्र वाटिका प्रोजेक्ट ग्राम छापरी रजला को Skoch ग्रुप द्वारा नवाचार हेतु Skoch अवार्ड 2020 में सेमीफाईनानिस्ट के प्रमाण–पत्र से नवाजा गया । नक्षत्र वाटिका प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर कलेक्टर महोदय द्वारा इसे झाबुआ जिले के अन्य स्थानों में भी निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

सुधा जैन
संकाय सदस्य